DFA

(14)

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

सं. 600ई/बिल्स/एचक्यू/एनडब्ल्युआरईयू/7/2015 दिनांक 25.01.16

सचिव स्थापना,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली

विषय– दैनिक भत्ते की बढी हुई दरों के अनुसार भुगतान ।

संदर्भ– इस रेलवे पर महाप्रबंधक स्तर की एनडब्ल्यूआरईयू–पीएनएम मद सं. 71/2015 एवं यूपीआरएमएस पीएनएम मद सं. 13/2015।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस रेलवे पर दोनों ट्रेड यूनियनों (एनडब्ल्यूआरईयू यूपीआरएमएस)द्वारा महाप्रबंधक स्तर की पीएनएम बैठक में यह मुददा उठाया है कि पुनः संरचना के आदेश 01.11.2013 से प्रभावी थे परन्तु यह आदेश यथा समय जारी नही होने एवं पुनः संरचना लागू करने में विलम्ब होने के कारण कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदौन्नत होने वाले कर्मचारियों के ग्रेड पे एवं वेतन में 01.11.2013 से परिवर्तन होने के बावजूद उन्हें इसके अनुसार दैनिक भत्ता (टी ए) का लाभ नही मिला । इसलिए ऐसे कर्मचारियों को दैनिक भत्ते (टीए डीए) के अन्तर राशि का भुगतान भी किया जाये ।

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द ।। के अध्याय 16 नियम 1602 के पैरा (2) में यह उल्लेख कि जहॉ किसी रेल सेवक को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नत या प्रतिवर्तित किया जाता है या उसे वेतन की बढी हुई दर मंजूर की जाती है वहां उस अवधि की बाबत जो प्रोन्नति या प्रतिवर्तन या वेतन की बढी हुई दर की मंजूरी की तारीख और उस तारीख के जिसको वह अधिसूचित की जाती है बीच में पडती है, यात्रा भत्ते लिए कोई भी दावा पुनरीक्षण तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि कर्तव्यों में वस्तुतः परिवर्तन हुआ है।

इस संबंध यह उल्लेखनीय है कि पुनः संरचना के अन्तर्गत पिछली तारीख (01.11.2013) से पदौन्नत होने वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों मे यद्यपि वस्तुतः परिवर्तन नही हुआ है परन्तु फिर भी उन्हें पिछली तारीख से वेतन के एरियर का भुगतान दिया जाता है ।

अतः कृपया उपरोक्त विषय में मार्ग दर्शन प्रदान करें कि पुनः संरचना के अन्तर्गत पिछली तारीख से पदौन्नति के कारण बैंड पे ग्रेड पे में परिवर्तन के आधार पर दैनिक टीए डीए के अन्तर राशि देय है अथवा नही ।

1/2/16

(महेश कुमार शर्मा)
कृते–महाप्रबंधक/कार्मिक
उत्तर पश्चिम रेलवे–जयपुर

ok